

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
12.11.2021

मिसल नम्बर

82 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021

तारीख दायरा

06.09..2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1-श्री भागचन्द साहू पुत्र श्री दुर्गालाल साहू निवासी बिसलपुर रोड पीपली चौराहा
टोडारायसिंह जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स साहू तेल घाणी उधोग बिसलपुर रोड पीपली
चौराहा टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

2 मैसर्स साहू तेल घाणी उधोग बिसलपुर रोड पीपली चौराहा टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26
(2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-


- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थीगण उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 12.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 06.01.2021 को समय 3.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स साहू तेल घाणी उधोग
बिसलपुर रोड पीपली चौराहा टोडारायसिंह जिला टोंक राज0पर पहुंचा। प्रोपरायटर की
हैसियत से श्री भागचन्द साहू पुत्र श्री दुर्गालाल साहू निवासी बिसलपुर रोड पीपली चौराहा
टोडारायसिंह जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स साहू तेल घाणी उधोग बिसलपुर रोड पीपली
चौराहा टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला,
को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर
प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना जाहिर
किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे
तिल्ली का तेल (खुला) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर.
विक्रेता श्री भागचन्द साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते न



1461

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता भागचन्द साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में 4 टिन में लगभग 50-55 किलोग्राम तिल्ली का तेल (खुला) रखे हुये में से एक टिन का चयन कर,को खोलकर में से 1600 ग्राम वेईग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता श्री भागचन्द साहू को रू0 400/-अक्षरे चार सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।


आवेदक द्वारा खरीदशुदा तिल्ली का तेल (खुला) 1600 ग्राम को अलग-अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक की शिशियो में प्रत्येक 400-400 ग्राम भरकर प्लास्टिक की शिशियो के ढक्कन को अच्छी तरह नियमानुसार एयर टाइट बंद किया एवं नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2771 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2771 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता भागचन्द साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/342 दिनांक 11.02.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/90/एक्ट/2021/174 दिनांक 19.01.2021 अनुसार भागचन्द साहू से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया तिल्ली का तेल (खुला) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का तिल्ली का तेल (खुला) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य



सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस तिल्ली का तेल (खुला) का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया तिल्ली का तेल (खुला) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री भागचन्द साहू पुत्र श्री दुर्गालाल साहू निवासी बिसलपुर रोड पीपली चौराहा टोडारायसिंह जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स साहू तेल घाणी उधोग बिसलपुर रोड पीपली चौराहा टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 पर शास्ति 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 12.11.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



12-11-2021
(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0